

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 77(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम (2) और नियम 7 के उप-खण्ड (सी) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नागालैण्ड सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन विनियमावली, 2008 है।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "नागालैण्ड" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"नागालैण्ड

पद का नाम	पदों की संख्या	तैनाती की न्यूनतम अवधि (वर्षों में)
1	2	3
मुख्य सचिव	1	—
अतिरिक्त मुख्य सचिव	2	2
प्रधान सचिव	2	2
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	1	2
प्रधान सचिव और वित्त आयुक्त	1	2
आयुक्त और सचिव	6	2
आयुक्त	1	2
निदेशक, ए.टी.आई.	1	2
राज्यपाल के सचिव	1	2
आयुक्त, कर तथा उत्पाद शुल्क	1	2
आवासीय आयुक्त	1	2
सचिव	6	2
सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव	3	2

1	2	3
उपायुक्त	11	2
अपर उपायुक्त	1	2
कुल योग	39	
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत की दर से	15	
3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत की दर से	09	
4. प्रशिक्षण रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत की दर से	01	
5. छुट्टी रिज़र्व और कनिष्ठ पद रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से	06	
6. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं	21	
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1+2+3+4+5-6)	49	
कुल प्राधिकृत पद संख्या	70	
आयुक्त, उत्पाद शुल्क	1	2
श्रम आयुक्त	1	2
निदेशक, पर्यटन	1	2
निदेशक, वस्त्र	1	2
निर्यात संवर्धन एवं विपणन निदेशक	1	2
निदेशक, सामाजिक कल्याण	1	2
निदेशक, विशेष परियोजनाएं	1	2
कुल योग	110	
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत की दर से	44	
3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत की दर से	27	
4. प्रशिक्षण रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत की दर से	3	
5. छुट्टी रिज़र्व और कनिष्ठ पद रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से	18	

1	2	3
6. पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं		61
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)		141
कुल प्राधिकृत पद संख्या		202

[फा. सं. 11031/3/2007-अ.भा.से. (ii)क]

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की संख्या का.नि.आ. 3350 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात बिहार संवर्ग के संबंध में, ये विनियम निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तारीखों के तहत संशोधन किए गए :-

क्र.सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1	2	3
1.	329(अ)	11-05-1976
2.	524(अ)	08-09-1980
3.	957	04-12-1982
4.	399	21-04-1984
5.	296	16-04-1988
6.	108	07-03-1992
7.	319(अ)	31-03-1995
8.	276	05-07-1997
9.	739(अ)	31-12-1997
10.	222	09-07-2005

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2008

G.S.R. 77(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 and sub-clause © of Rule 7 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Nagaland hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

- (i) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regulations, 2008.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for

the heading "Nagaland" and the entries occurring thereafter, the following shall be substituted namely :—

"NAGALAND"

1. Senior Duty Posts under the State Government		
Name of the Post	No. of Posts	Minimum tenure for posting (in years)
Chief Secretary	1	—
Additional Chief Secretary	2	2
Principal Secretary	2	2
Principal Secretary to Chief Minister	1	2
Principal Secretary and Financial Commissioner	1	2
Commissioner and Secretary	6	2
Commissioner	1	2
Director, ATI	1	2
Secretary to Governor	1	2
Commissioner, Taxes and Excise	1	2
Resident Commissioner	1	2
Secretary	6	2
Addl./Joint/Deputy Secretary to Government	3	2
Deputy Commissioner	11	2
Addl. Deputy Commissioner	1	2
Total	39	
2. Central Deputation Reserve @ 40% of Item 1 above	15	
3. State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above	9	
4. Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above	1	
5. Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above	6	
6. Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Item 1, 2, 3 and 4 above	21	
7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)	49	
Total Authorised Strength	70	

[F. No. 11031/3/2002-AIS-II-A]

CHAITANYA PRASAD, Director (Services)

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 3350 dated 22nd October, 1955. These were subsequently amended

in respect of the Nagaland Cadre *vide* the following
G.S.R. Nos. and dates :

Sl. No.	GSR No.	Date
1.	329(E)	11-05-1976
2.	524(E)	08-09-1980
3.	957	04-12-1982
4.	399	21-04-1984
5.	296	16-04-1988
6.	108	07-03-1992
7.	319(E)	31-03-1995
8.	276	05-07-1997
9.	739(E)	31-12-1997
10.	222	09-07-2005